भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1057

29.07.2024 को उत्तर के लिए

समुद्र तटीय कटाव

1057. श्री वी. वैथिलिंगम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों में तटीय क्षेत्र के साथ-साथ समुद्री कटाव के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) समुद्री कटाव के कारण मछुआरा समुदाय को कितनी क्षति हुई है; और

(ग) तटीय भू-कटाव को कम करने और पुदुचेरी सहित दक्षिणी राज्यों में प्रभावित मछुआरों को क्षतिपूर्ति/पुनर्वास प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग)

भारत की तटरेखा के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक कारणों या मानवजनित गतिविधियों के कारण भिन्न स्तरों के कटाव होते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) ने वर्ष 1990-2018 की अवधि के लिए क्षेत्र-सर्वेक्षित आंकड़ों के साथ-साथ बहु-वर्णक्रमीय उपग्रह चित्रों का उपयोग करके संपूर्ण भारतीय समुद्र तट में तटरेखा परिवर्तनों की निगरानी की है। यह पाया गया कि भारतीय समुद्र तट के 33.6% हिस्से में कटाव की संभावना थी, 26.9% हिस्से में एक साथ कटाव में अभिवृद्धि (वृद्धि) हो सकती थी और 39.6% हिस्सा स्थिर स्थिति में था।

एनसीसीआर द्वारा शुरू की गई तटरेखा मानचित्रण प्रणाली के तहत, तटीय कटाव के प्रति संवेदनसील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 69 जिला मानचित्रों तथा 9 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) मानचित्रों के साथ-साथ 1:25000 के पैमाने पर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपीय तट के लिए 526 मानतित्र तैयार किए गए थे। जुलाई, 2018 में "भारतीय तट पर तटरेखा परिवर्तनों का राष्ट्रीय आकलन" संभंधी एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट को तटरेखा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों और हितधारकों के साथ साझा किया गया था। इस रिपोर्ट के डिजिटल संस्करण के साथ-साथ सभी मानचित्रों को समाविष्ट करते हुए एटलस का एक अद्यतन संस्करण दिनांक 25 मार्च, 2022 को जारी किया गया था।

एनसीसीआर द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि तटरेखा में होने वाले परिवर्तन, प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव होते हैं और तटरेखा के पीछे हटने से भूमि/पर्यावास तथा नौकाओं, जालों की मरम्मत और मत्स्यन संबंधी कार्यकलापों के लिए स्थान की कमी होने के संदर्भ में मछुआरों की आजीविका का नुकसान होगा।

दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र के साथ तटरेखा में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तट की लंबाई(किमी)	कटाव (किमी)	कटाव (%)
1	कर्नाटक	313.02	74.34	23.7
2	केरल	592.96	275.33	46.4
3	तमिलनाडु	991.47	422.94	42.7
4	पुडुचेरी	41.66	23.42	56.2
5	आंध्र प्रदेश	1027.58	294.89	28.7

भारत सरकार ने तटीय कटाव की समस्या से निपटने और मछुआरों सहित तटीय समुदायों के लाभ के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) एमओईएफसीसी (ने तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों के विशिष्ट पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं, वैश्विक तापन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के खतरों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीआरजेड अधिसूचनाएं जारी की हैं।

ii. सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार, सीआरजेड क्षेत्रों में तटीय कटाव नियंत्रण के उपाय अनुमेय गतिविधि हैं। इसके अलावा, माननीय एनजीटी ने वर्ष 2013 के ओ .ए. नंबर 04 और वर्ष 2017 की अपील संख्या 18 में दिनांक 11/04/2022 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि स्वीकृत सीजेडएमपी में सीआरजेड 2019 अधिसूचना में सूचीबद्ध मानक शामिल होंगे, जिसमें तटीय कटाव संभावित क्षेत्रों के लिए उच्च, मध्यम और निम्न कटाव खंड शामिल हैं और ऐसे कटाव संभावित क्षेत्रों के लिए तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। तदनुसार, मंत्रालय ने पुडुचेरी सहित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2019 के सीजेडएमपी में तटरेखा प्रबंधन योजना को शामिल करने के निर्देश जारी किए हैं।

iii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र के लिए जोखिम रेखा निरूपित की है। यह जोखिम रेखा, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र तल में वृद्धि सहित तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों का संकेतक है। तटीय राज्यों में

एजेंसियों द्वारा अनुकूलन और उपशमन संबंधी उपायों की आयोजना सहित आपदा प्रबंधन हेतु एक साधन के रूप में इस रेखा का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं में जोखिम रेखा, विशेष रूप से शामिल है।

iv. पुडुचेरी और केरल में चेल्लानम में तटीय कटाव नियंत्रण संबंधी उपाय किए गए हैं, जिससे पुडुचेरी में विलुप्त तटीय क्षेत्रों और चेल्लानम मत्स्यन ग्राम में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली और सुरक्षा में मदद मिली है। संवेदनशील क्षत्रों में तटीय सुरक्षा उपायों के डिजाइन और तटरेखा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में तटीय राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

v. एनसीसीआर तटीय राज्यों को उनके तटों के कमजोर हिस्सों पर तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार करने तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और केरल के लिए तटरेखा प्रबंधन योजना) एसएमपी (तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

vi. पुडुचेरी सरकार ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ मिलकर संकरित समाधान का उपयोग करते हुए पुडुचेरी समुद्र तट पुनरुद्धार परियोजना को क्रियान्वित किया जो देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना के परिणामस्वरूप पुडुचेरी शहर में लगभग1 . 5किलोमीटर समुद्र तट का पुनरुद्धार हुआ।

vii. पुडुचेरी सरकार ने पिल्लैचावडी गांव में तटीय कटाव नियंत्रण उपायों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और एनसीसीआर, चेन्नई के माध्यम से विस्तृत डिजाइन तैयार किया है।

viii. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्यन विभाग तटीय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अभिज्ञात स्थानों पर मछुआरों और मत्स्यन से संबंधित गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यकता आधारित शेल्टर बेसिन, सुरक्षित लैडिंग और बर्थिंग सुविधाओं तथा जमीन पर बनी सुविधाओं के निर्माण के लिए फिशिंग हार्बरों और फिश लैंडिंग सेंटरों के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। योजनाओं के तहत विकसित किए गए फिशिंग हार्बरों और फिश लैंडिंग सेंटरों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य रूप से मत्स्य पालन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आश्रय और शांत बेसिन बनाने, खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए ब्रेकवाटर, ट्रेनिग वॉल्स और ग्रोइन जैसी आवश्यकता आधारित जल में और जमीन पर बनी सुविधाएं शामिल हैं।

ix. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग वित्तीय वर्ष 2020- 21से मत्स्य पालन संबंधी कार्यकलापों के समग्र विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए20 , 050करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) पीएमएमएसवाई (को क्रियान्वित कर रहा है। फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटरों के रूप में मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे का विकास इस योजना के तहत परिकल्पित और वित्तपोषित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इस तरह की मत्स्य पालन संरचनात्मक परियोजनाओं को केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के बीच60 : 40 के अनुपात में लागत साझा करने के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए100 % केंद्रीय सहायता के आधार पर शुरू किया गया।

x. गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) एनडीआरएफ (के अंतर्गत समुद्री कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के संबंध में सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु नीति जारी की है।

xi. तटीय संरक्षण परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन संबंधित समुद्री राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तटीय संरक्षण योजनाएँ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम) एफएमबीएपी) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में तटीय कटाव को कम करने के लिए दक्षिणी राज्यों से एफएमबीएपी के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

xii. एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त संधारणीय तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम) एससीपीएमआईपी) को कर्नाटक में क्रियान्वित किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय) एमओजेएस) ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तटीय संरक्षण गतिविधियों के समन्वयन के लिए राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। एससीपीएमआईपी का उद्देश्य कृत्रिम चट्टानें, समुद्र तटों का रख रखाव और-टीलों के प्रबंधन जैसे नरम विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उपयुक्त समाधानों का उपयोग करके तटीय संरक्षण की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना और तटीय अस्थिरता का समाधान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तटरेखा को कटाव से बचाना भी है ताकि तटीय समुदायों के आय सृजन के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

*****